न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 68 / 2025 दायर दिनांकः 28.07.2025

उनवान

1. नन्दकिशोर आयु 51 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति कुम्हार निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

निर्णय दिनाकः 28.08.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अर्डान्द पटवार क्षेत्र अर्डान्द तहसील अटरू की खाता संख्या 310 के ख0नं0 661 रकबा 0.10 है०, ख0नं0 662 रकबा 0.13 है०, ख०नं० 664 रकबा 0.15 है०, ख0नं0 675 रकबा 0.10 है० किता 4 रकबा 0.48 हैं0 आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज हैं तथा खाता संख्या 309 का ख0नं0 801 रकबा 0.32 है० किता 1 रकबा 0.32 है० आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज हैं तथा खाता संख्या 316 का ख0नं0 666 रकबा 0.02 है० किता 1 रकबा 0.02 है० आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी का गलत नाम नन्दलाल पुत्र बजरंगा दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे प्रार्थी का नाम नन्दलाल पुत्र बजरंगा दर्ज है जो प्रार्थी का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम नन्दकिशोर पुत्र बजरंगलाल हैं। आधार कार्ड, बैंक डायरी, ड्राविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, जोबकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, टी.सी. तथा अन्य दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम नन्दकिशोर पुत्र बजरंगलाल है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो में भिन्न हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो में भिन भिन्न नाम

होने से प्रार्थी को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम नन्दलाल पुत्र बजरंगा के स्थान पर नन्दकिशोर पुत्र बजरंगलाल दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसे बिना न्यायलय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रथम बार दिनांक 20.06.2025 को प्रार्थी द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा प्रार्थी द्वारा कई बार अप्रार्थी से नाम दुरुश्त करने का निवेदन के बावजूद भी नही करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम नन्दलाल पुत्र बजरंगा के स्थान पर नन्दकिशोर पुत्र बजरंगलाल दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदानं करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 नन्दकिशोर पुत्र बजरंगलाल जाति कुम्हार निवासी अर्डान्द तहसील तहसील अटरू व Pw2 हरिराम पुत्र बजरंगलाल जाति कुम्हार निवासी अर्डान्द तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अर्डान्द सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 310, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अर्डान्द सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 309, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अर्डान्द सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 316, आधार कार्ड, बैंक पास बुक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, जॉब कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा दिनांक 19.11.1992, प्रशासक ग्राम पंचायत अर्डान्द प्रमाण पत्र दिनांक 25.07.2025 व शपथ पत्र गवाहान का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबन्दी नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अर्डान्द सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 310, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अर्डान्द सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 309 व नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अर्डान्द सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 316 में सहखातेदार प्रार्थी के सगे भाई हरिराम पुत्र बजरंगा ने भी नन्दलाल का नाम नन्दकिशोर होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल अर्डान्द पटवार क्षेत्र अर्डान्द तहसील अटरू के खाता संख्या 310 कुल किता 4 रकबा का कुल रकबा 0.48 हैं0, ग्राम एवं माल अर्डान्द पटवार क्षेत्र अर्डान्द तहसील अटरू के खाता संख्या 309 का ख0नं0 801 रकबा 0.32 है० किता 1 रकबा 0.32 है० तथा ग्राम एवं माल अर्डान्द पटवार क्षेत्र अर्डान्द तहसील अटरू के खाता संख्या 316 का ख0नं0 666 रकबा 0.02 है० किता 1 रकबा 0.02 है० आराजी में सह खातेदार नन्दलाल पुत्र बजरंगा के स्थान पर नन्दकिशोर उर्फ नन्दलाल पुत्र बजरंगलाल उर्फ बजरंगा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–ःःक्रियात्मक आदेशःः–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल अर्डान्द पटवार क्षेत्र अर्डान्द तहसील अटरू के खाता संख्या 310 कुल किता 4 रकबा का कुल रकबा 0.48 हैं0, ग्राम एवं माल अर्डान्द पटवार क्षेत्र अर्डान्द तहसील अटरू के खाता संख्या 309 का ख0नं0 801 रकबा 0.32 है० किता 1 रकबा 0.32 है० तथा ग्राम एवं माल अर्डान्द पटवार क्षेत्र अर्डान्द तहसील अटरू के खाता संख्या 316 का ख0नं0 666 रकबा 0.02 है० किता 1 रकबा 0.02 है० आराजी में सह खातेदार नन्दलाल पुत्र बजरंगा के स्थान पर नन्दकिशोर उर्फ नन्दलाल पुत्र बजरंगलाल उर्फ बजरंगा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां